न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आपूर्ति अपील वाद संख्या– 02/2013

पूनम देवी वनाम राज्य

आदेश

प्रशासनिक कार्य में व्यस्तता के कारण यह आदेश विलम्ब से पारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत आपूर्ति अपील अपीलार्थी पूनम देवी द्वारा जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति रद्ध किये जाने संबंधी अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञप्ति पदाधिकारी, सदर, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 13–2 दिनांक– 21.01.2013 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया हे।

अपीलार्थी पूनम देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड नं०–1, शहरी क्षेत्र के विरूद्ध निम्नांकित आरोप हैः–

01. श्रीमती पूनम देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा दिनांक– 21.02.2012 को अन्त्योदय मद का कुल 35.84 क्वींटल गेहूँ का उठाव कर भंडार पंजी में मात्र 23.94 क्वींटल अंकित किया।
02. श्रीमती पूनम देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा अन्त्योदय मद का 35.91 क्वींटल चावल का दिनांक 21.02.2012 को उठाव कर भंडार पंजी में 35.19 क्वींटल उठाव दर्ज किया गया।
03. बिक्रेता द्वारा अन्त्योदय मद का गेहूँ एवं चावल किस माह का लाभुकों को वितरण किया गया है कि वितरण पंजी में माह एवं तिथि की प्रविष्टि नहीं है।
04. विक्रेता द्वारा अन्त्योदय, बी०पी०एल० एवं किरासन तेल वितरण का कैशमेमो लाभुकों को नहीं दिया जाता है।
05. जून, जुलाई–2011 का अन्त्योदय चावल का उठाव गोदाम से हुआ कि नहीं इसका कोई जिक्र भंडार पंजी में नहीं है, जबकि वितरण पंजी से स्पष्ट है कि जून–जुलाई 2011 के खाद्यान्न का वितरण हुआ है।
06. भंडार पंजी एवं वितरण पंजी से स्पष्ट है कि खाद्यान्न का उठाव हुआ, परन्तु भंडार पंजी में अंकित किये बिना वितरण दिखा गया है तथा वितरण की तिथि भी पंजी में अंकित नहीं है।
07. बी०पी०एल० भंडार पंजी के अनुसार बी०पी०एल० गेहूँ 48.30 क्वींटल जून एवं जुलाई माह का 21.02.2012 को उठाव हुआ एवं 37.20 क्वींटल बी०पी०एल० चावल का उठाव हुआ, परन्तु विक्रेता द्वारा नवम्बर एवं दिसम्बर 2011 दर्ज कर 50 किलो वितरण किया गया है।
08. श्रीमती पूनम देवी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता से उपरोक्त अनियमितता के संबंध में ज्ञापांक 372 दिनांक– 11.12.2012 द्वारा कारण–पृच्छा तथा उठाव एवं वितरण पंजी की माँग पर अपीलार्थी का कहना था कि दीपावली के दिन दीप जलाने के क्रम में धर में आग लग जाने

के कारण सभी पंजी, कैशमेमो जल गया। दीपावली 13.11.2012 को था परन्तु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.12.2012 थाना में सनहा दर्ज कराया गया।

09. दिनांक 30.12.2013 को विक्रेता पूनम देवी ने दुकान की जाँच प्रभारी आपूर्ति निरीक्षक द्वारा की गयी जिसमें निम्नांकित आरोप प्रतिवेदित है।

10. उपभोक्ताओं का बयान था कि विक्रेता के पति महेन्द्र दास द्वारा दुकान का संचालन किया जाता है तथा उपभोताओं के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं है। गाली–गलौज किया जाता है।

11. अन्त्योदय एवं बी0पी0एल0 लाभुकों का बयान था कि विक्रेता द्वारा अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 तक का खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गयी।

12. विक्रेता 18 रूपये लीटर की दर से कीरासन तेल का आपूर्ति करते है जो निर्धारित दर से अधिक है।

13. विक्रेता द्वारा 06.12.2012 को 400 लीटर एवं 26.12.2012 को 500 लीटर किरासन तेल का उठाव पुराने भंडार पंजी पर मेसर्स मनोहर लाल, राधाकृष्ण, किरासन तेल थौक विक्रेता से प्राप्त कर सनहा में उल्लेख किया कि सभी पंजी जल गयी है।

अपीलार्थी का कहना है कि नगर परिषद, वार्ड नं0– 1 की जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति संख्या– 3/2007 पाप्त कर सरकारी निदेशानुसार उपभोक्ताओं के बीच उपभोक्ता सामाग्री का वितरण किया जाता रहा है एवं उनके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रहीं।

अपीलार्थी ने राजकुमार सहनी, सी0पी0एम0 कार्यकर्त्ता द्वारा अवैध माँग की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण मिथ्या आरोप लगाने की बात कही है, तथा यह भी अंकित किया है कि उन्हीं के दबाव पर गलत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। ज्ञापांक 494–2 दिनांक 27.11.2012 के अनुपालन में कारण पृच्छा तथा ज्ञापांक 2–2 दिनांक 07.01.2013 के अनुपालन में द्वितीय कारण पृच्छा अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञप्ति पदाधिकारी को समर्पित किया परन्तु अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञप्ति पदाधिकारी, सदर सहरसा द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति कर दी गई। इससे असंतुष्ट होकर प्रस्तुत अपील के माध्यम से पारित आदेश को निरस्त कर अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को बहाल करने की याचना की गयी है। अपीलार्थी का अग्रतर कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश विषय वस्तु परिस्थति एवं साक्ष्य के प्रतिकूल है। अपीलार्थी को जो भी सामग्री प्राप्त होता था उसे नियत मात्रा में निर्धारित मूल्य पर उपभोक्ताओं के बीच वितरण कर दिया जाता था। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि प्रत्येक माह का कूपन जमा करने के उरान्त ही अगले माह का आवंटन किया जाता था, परन्तु इस तथ्य पर भी अनुज्ञप्ति पदाधिकारी ने विचार नहीं किया। पंजी की प्रविष्टि

में हुई तथा कथित लिपिकीय भूल को ज्यादे उछाला गया है जबकि अपीलार्थी मात्र शिक्षित है, उन्हें अपने पति का सहयोग लेना पड़ता है। दीपावली में सारे कागजात के जल जाने की बात कारण पृच्छा में अंकित किया गया था परन्तु 06.12.2012 को जिस पुराने पंजी पर किरासन तेल का उठाव किया गया था वह पंजी मकान के दूसरे हिस्से में रखा हुआ था। आवंटित उपभोक्ताओं से कम उपभोता को खाद्यान्न का आवंटन अपीलार्थी को किया जाता था, जिस कारण कुछ उपभोक्ताओं में आक्रोश था। अपीलार्थी द्वारा अनुज्ञप्ति शर्तों अथवा इ0सी0 एक्ट की धारा–3 का कभी कोई उल्लंधन नहीं किया गया है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी –सह– अनुज्ञप्ति पदाधिकारी सदर सहरसा द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाय।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजकों को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

आरोपित जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर मुख्य आरोप यह है कि उसने उपभोक्ताओं को अप्रैल, 2012 से जुलाई 2012 तक के खाद्यान्न का आपूर्ति नहीं किया। उपभोक्ताओं को किरासन तेल 18.00 रूपया की दर से 2 लीटर प्रति लाभुक को आपूर्ति किया, जो निर्धारित दर से अधिक है। उक्त आरोपों पर आरोपित जन वितरण प्रणाली विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। आरोपित जन वितरण प्रणाली विक्रेता ने दाखिल कारण–पृच्छा में उक्त आरोपों पर स्थिति स्पष्ट नहीं की। फलतः आरोपित जन वितरण प्रणाली विक्रेता पर लगाया गया आरोप सही है।

अतः अपील आवेदन खारीज (Dismiss) किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

समाहर्त्ता,
सहरसा।

12.7.

समाहर्त्ता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1421-2 /जिला विधि, सहरसा, दिनांक– 15 वीं जुलाई, 2014 ई. ।

प्रतिलिपि– मूल अभिलेख संलग्न करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सहरसा जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/7/14

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।

14.7.14